

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 जून 2026 — ज्येष्ठ 21, शक 1948

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 जून 2026

अधिसूचना

क्र.2503/GENS-21/1050/2026-WRD.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं पूर्व अधिसूचना क्रमांक-8839/एफ-6/19/31/एस-2/जसंवि, दिनांक 16.12. 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन सेवा, जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1.	2	3	4	5	6	7
अ.	नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना					
1.	संबंधित अनुविभागीय अधिकारी	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, आवेदन में कोई कमी या आपत्ति के विषय में आवेदक को सूचित करना।	07 कार्य दिवस	संबंधित उप अभियंता	संबंधित अनुविभागीय अधिकारी	संबंधित कार्यपालन अभियंता
2.	संबंधित अनुविभागीय अधिकारी,	आवेदन के अनुमोदन के पश्चात्, सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना।	07 कार्य दिवस	संबंधित उप अभियंता,	संबंधित अनुविभागीय अधिकारी	संबंधित कार्यपालन अभियंता
ब.	बेरोजगार स्नातक / डिप्लोमा इंजीनियर का ठेकेदार के रूप में पंजीकरण					

1.	संबंधित मुख्य अभियंता कार्यालय	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, आवेदन में कोई कमी या आपत्ति के विषय में आवेदक को सूचित करना।	07 कार्य दिवस	संबंधित लेखा अधिकारी	संबंधित यांत्रिकी प्रशासकीय अधिकारी	संबंधित मुख्य अभियंता
2.	संबंधित मुख्य अभियंता कार्यालय	आवेदन के अनुमोदन के पश्चात्, पंजीयन का पूर्ण होना।	30 कार्य दिवस	संबंधित लेखा अधिकारी	संबंधित यांत्रिकी प्रशासकीय अधिकारी	संबंधित मुख्य अभियंता
स. ठेकेदारों को पंजीयन जमानत राशि वापस करना						
1.	प्रमुख अभियंता कार्यालय	आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, अ-3 से अ-5 एवं एस-3 से एस-5 श्रेणी के ठेकेदारों को जमा पंजीयन जमानत राशि वापस करना	45 कार्य दिवस	वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियंता	अधीक्षण अभियंता (बजट) कार्यालय प्रमुख अभियंता	प्रमुख अभियंता
2.	संबंधित मुख्य अभियंता कार्यालय	आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, अ-1 से अ-2 एवं एस-1 से एस-2 श्रेणी के ठेकेदारों तथा स्नातक / डिप्लोमा इंजीनियर ठेकेदारों को जमा पंजीयन जमानत राशि वापस करना।	45 कार्य दिवस	संबंधित लेखा अधिकारी	संबंधित यांत्रिकी प्रशासकीय अधिकारी	संबंधित मुख्य अभियंता
द. पानी उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान करना						
1	संबंधित कार्यपालन अभियंता	आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, नदी, सार्वजनिक जलाशयों एवं नैसर्गिक स्रोतों से पानी के उपयोग हेतु अनुमति प्राप्त करना	300 कार्य दिवस (आपत्तियों के निराकरण उपरान्त, समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण होने एवं पानी की उपलब्धता पर)	संबंधित कार्यपालन अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
2.	संबंधित कार्यपालन अभियंता	आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, पानी की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र जारी करना।	90 कार्य दिवस	संबंधित कार्यपालन अभियंता	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता
इ. ठेकेदार को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना						
1.	संबंधित कार्यपालन अभियंता	कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र का कार्य पूर्ण होने के पश्चात्, जारी किया जाना।	60 कार्य दिवस	संबंधित कार्यपालन अभियंता	संबंधित अधीक्षण अभियंता	संबंधित मुख्य अभियंता

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 11th June 2026

NOTIFICATION

No. 2503/GENS-21/1050/2026-WRD.— In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011) and in supersession of previous notification No. 8839/F-6/19/31/S-2/WRD, Dated 16.12.2011, the State Government, hereby, notifies the name of office, services to be provided by the department as specified in the Schedule given below, along with the stipulated time limits for delivery of such services, the designation of the Designated Officer (post) responsible for providing the service, the Competent Authority, and the designation of the Appellate Authority, namely:-

SCHEDULE

S. No.	Name of the Office/body/ agency	Service to be provided under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011	Time Limit for providing the service (Working days)	Designated Officer (Post) responsible for providing the service	Competent Authority	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6	7
A	To provide irrigation facilities up to the tail end of the canal					
1.	Concerned Sub-Divisional Officer	Communication regarding any deficiency or objection in the application to the applicant upon receiving the application.	7 Working Days	Concerned Sub-Engineer	Concerned Sub-Divisional Officer	Concerned Executive Engineer
2.	Concerned Sub-Divisional Officer	Water shall be provided for irrigation after approval of the application.	7 Working Days	Concerned Sub-Engineer	Concerned Sub-Divisional Officer	Concerned Executive Engineer
B	Registration of Unemployed Graduate / Diploma Engineers as Contractors					
1.	Concerned Chief Engineer office	Communication regarding any deficiency or objection in the application to the applicant upon receiving the application.	7 Working Days	Concerned Accounts Officer	Concerned Engineering Administrative Officer	Concerned Chief Engineer
2.	Concerned Chief Engineer office	Registration shall be completed after approval of application.	30 Working Days	Concerned Accounts Officer	Concerned Engineering Administrative Officer	Concerned Chief Engineer
C	Refund of Registration Security Deposits to Contractors					
1.	Engineer-in-Chief Office	Registration security deposit shall be refunded to the contractors	45 Working Days	Finance Controller Office of the Engineer-in-	Superintending Engineer (Budget) Office of the Engineer-	Engineer-in-Chief

S. No.	Name of the Office/body/ agency	Service to be provided under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011	Time Limit for providing the service (Working days)	Designated Officer (Post) responsible for providing the service	Competent Authority	Appellate Authority
		of categories A-3 to A-5 and S-3 to S-5 after receiving the application.		Chief	in-Chief	
2.	Concerned Chief Engineer office	Registration security deposit shall be refunded to the Contractors of Categories A-1 to A-2 and S-1 to S-2 and Graduate /Diploma Engineer contractors after receiving the application.	45 Working Days	Concerned Accounts Officer	Concerned Engineering Administrative Officer	Concerned Chief Engineer
D Grant of Permission for Use of Water						
1.	Concerned Executive Engineer	Permission shall be granted for the use of water from rivers, public water bodies and natural sources after receiving the application.	300 working days (upon the resolution of objections, completion of all formalities, and availability of water).	Concerned Executive Engineer	Concerned Chief Engineer	In-Charge Secretary, Government of Chhattisgarh, Water Resources Department
2.	Concerned Executive Engineer	Certificate of non-availability of water shall be issued after receiving the application	90 Working Days	Concerned Executive Engineer	Concerned Superintending Engineer	Concerned Chief Engineer
E Issue of Work Completion Certificate to the Contractor						
1.	Concerned Executive Engineer	Work Completion Certificate shall be issued after completion of work.	60 working days	Concerned Executive Engineer	Concerned Superintending Engineer	Concerned Chief Engineer

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJESH SUKUMAR TOPPO, Secretary.